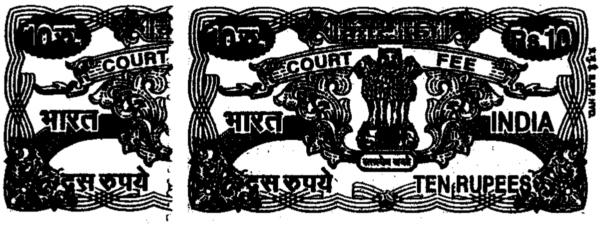

निगरानी 73-[illegible]/15

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल , भोपाल संभाग भोपाल

प्रकरण कमांक –

श्रीमती सोमती बाई पत्नी श्री रामजी नरवरे
आयु – लगभग 50 वर्ष
निवासी – ग्राम कोपरा तहसील आठनेर जिला बैतूल — आवेदिका / रीविजनकर्ता

क्रमांक 4208
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ________ को प्राप्त

विरूद्व

शासन

[illegible] कोर्ट
[illegible] म.प्र. ग्वालियर

अनावेदक / प्रतिप्रार्थी

निगरानी / रीविजन आवेदन अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भुराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय ,

आवेदिका / रीविजनकर्ता द्वारा यह रीविजन राजस्व निरीक्षक सातनेर तहसील आठनेर द्वारा सीमाकंन प्रकरण 5/रा0 निरी / 2014 में दिनांक 31 / 07 / 14 को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के विरूद्व दुखित एवं असंतुष्ठ होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(5)

प्रकरण कमांक निगरानी 73–पीबीआर/15 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–6–2017	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सीमांकन आदेश दिनांक 31–7–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 8–1–2015 को लगभग 4 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण अनेक बार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी नकल प्राप्त नहीं होना दर्शाया गया है, जो समाधानकारक कारण नहीं है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	